नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

SESSION : 2020-21

पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय, स्ववित्तीय) में प्रवेश हेतु स्पॉट काउंसलिंग (ऑफलाईन) की रिक्त सीटे, नियम एवं शर्ते (दिनांक 06.03.2021 पंजीयन समय सुबह 11.00 बजे)

क. रिक्त सीटों की जानकारी

1. पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय, स्ववित्तीय)

(Veterinary Polytechnic College, Jabalpur / Mhow / Rewa / Morena/ Bhopal)

Free seats

Veterinary Polytechnic College	URX	UR EWS	URF	SCX	SCF	STX	STF	OBCX	OBCF	Total
Jabalpur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mhow	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Rewa	1	0	0	0	2	2	0	0	1	6
Morena	0	2	5	2	1	0	1	0	1	12
Bhopal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	1	4	6	3	3	2	1	0	2	22

Payment seats

Veterinary Polytechnic College	URX	UR EWS	URF	SCX	SCF	STX	STF	OBCX	OBCF	Total
Jabalpur	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
Mhow	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Rewa	1	1	2	0	0	1	0	1	0	6
Morena	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4
Bhopal	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
Total	2	3	7	1	1	2	0	2	1	19

(**UR** = अनारक्षित, **SC**= अनुसूचित जाति, **ST**= अनुसूचित जनजाति, **OBC**= अन्य पिछड़ा वर्ग,
वर्गः **F** = महिला,, **EWS=** सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर **X** = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग)

स्थान : सभागार, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र) 482001

टीप : प्रवेशित छात्र –छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की सख्या में वृद्वि हो सकती हैं।

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय, स्ववित्तीय) (सत्र 2020–21) में प्रवेश हेतु स्पॉट काउंसलिंग (ऑफलाईन) के नियम एवं षर्ते

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी जिन्होनें CRISP, Bhopal द्वारा ऑन लाईन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया हैं अथवा जिन्होनें पंजीयन नही किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है।
3. काउंसलिंग की नियत तिथि दिनांक 06.03.2021 को जो अभ्यार्थी स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवायेगें केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र होंगे ।
4. बिलम्व से आने वाले अभ्यर्थीयों को प्रवेश प्रक्रिया में देर से शामिल होने के कारण रिक्त स्थान पर प्रवेश न मिलने की जबावदारी उनकी स्वयं की होगी ।
5. अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में ऑफलाईन काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश ले लिया हें, वे स्पॉट काउंसलिंग में सम्मिलित हेतु पात्र है। पंरतु महाविद्यालय का परिवर्तन मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा ।
6. पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में DAHET–2020 कि प्रवीण्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन किया जायेगा।
7. प्रवेश हेतु DAHET–2020 की नियम पुस्तिका में दिये गए नियमों का पालन किया जाएगा एवं शासन के प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैं।
8. पेमेंट सीट पर मेंरिट के आधार पर उन्ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने प्रोफेषनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा या yes लिखा होगा एवं पेमेंट सीट अंकसूची उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अभ्यार्थियों का नाम प्रोफेषनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा प्रदत्त DAHET -2020 के पेमेंट सूची में अनिर्वाय रूप से होना आवश्यक हैं।

9. अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें।

- पशुपालन पत्रोपाधि प्रवेश परीक्षा (DAHET) 2020 की अंक सूची।
- हाई स्कूल (10th), हायर सेकेण्डरी (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण–पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी ।

- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- माइग्रेषन प्रमाण पत्र।
- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
- सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारुप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
- आधार कार्ड

समस्त मूल दस्तावजों एवं उनकी दो छायाप्रतियों (फोटोकापी) को लाना अनिवार्य होगी।

10. अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगें

शुल्क निर्धारित तिथि में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर जमा न करने पर अभ्याार्थी का प्रवेश निरस्त कर अन्य प्रत्याशी को योग्यता मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क फ्री सीट् के लिए 34700/– एवं पेमेंट सीट के लिए 54700/– प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा।

कुल फीसः–

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)	
		फ्री सीट	**पेमेंट सीट**
1	प्रथम वर्ष प्रथम छः माही	34700/–	54700/–
2	प्रथम वर्ष द्वितीय छः माही	26710/–	46710/–
3	द्वितीय वर्ष प्रथम छः माही	26710/–	46710/–
4	द्वितीय वर्ष द्वितीय छः माही	26710/–	46710/–

शुल्क वापसीः सत्र 2020–21 में पषुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जाएगा।

11. किसी भी वर्ग/श्रेणी हेतु आरक्षित महिला सीटों में से केवल उसी श्रेणी/वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होगें ।

12. आरक्षण के नियमानुसार किसी भी वर्ग/श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त सीटों को नियमानुसार वर्ग/श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

अधिष्ठाता संकाय